न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2001/00012 (65/2001) 223 आरटीएक्ट

गौरांदेवी पुत्री नानू पुत्र माना पत्नी जयमल जाति जाट निवासी फकीरावाली तहसील पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर। – अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दराम पिसर मुतवन्ना माना जाति जाट निवासी श्योदानुपुरा तहसील टिब्बी जिला हनमानगढ (नाम कलमजन)
2. बुधराम पुत्र मोहकम जाति जाट निवासी फकीरांवाली तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।
3. तहसीदार (राजस्व) टिब्बी।
4. भादरराम
5. हरीराम } पिसरान नंदराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील
6. बृजलाल } जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2001 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया प्रकरण संख्या 129/87 व 136/87 बअनवानी गौरांदेवी बनाम नंदराम व अन्य

श्री बलविन्द्र सिह अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संया 4, 5, 6

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक – 06.01.2020

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्टा/वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया कि चक 20 केएनएन में वादीया, उसके दादा स्व माना व प्रतिवादी सं0 2 के मुश्तरका खाते में 37.19 बीघा आराजी थी। उक्त आराजी में माना का 1/2 हिस्सा, वादिया का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 का 1/4 हिस्सा था। माना की मृत्यु 1962 में हुइ थी उसकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मृत्यु के बाद प्रति नं. 1 ने माना की हिस्सा की 1/2 हि0 कृषि भूमि का इन्तकाल अपने नाम करवा लिया जबकि स्व0 माना की आराजी में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार वादीया 1/2 हिस्सा की अधिकारी एवं काश्तकार है। वादीया अपना खाता प्रतिवादी सं0 1, 2 के साथ नहीं रखना चाहती है। अतः स्व0 मानाराम की 1/2 हिस्से की आराजी में से वादीया को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त भूमि का खाता अलग अलग किया जावे तथा मुताबिक बंटववारा वादीया को कब्जा दिलवाया जावे। वादीया/अपीलाण्ट के इस वाद को वाद संख्या 129/87 पर दर्ज किया गया।

2. प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब पेश किया कि वादिया 1/4 हिस्से की हकदारथी जिसका बैयनामा वादीया द्वारा दिनांक 15.06.88 को मुझ प्रतिवादी क तीन पुत्रों हरीराम, बृजलाल, भादर के नाम तहरीर व तकमील करवा दिया। वादग्रस्त आराजी में अब वादीया का कोई हक शेष नहीं है। वादीया सह खातेदार नहीं होने से विभाजन करा पाने की अधिकारी नहीं है। स्व0 माना ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा व विवेक से अपनी कुल सम्पति की वसयीत भी मुझे प्रतिवादी के हक में तकमील व तहरीर कर दी थी इसलिए मृतक माना की कुल जायदाद का प्रतिवादी एक मात्र वारिस व हकदार है। मृतक माना की भूमि में वादीया को किसी प्रकार का कोई हक प्राप्त नहीं है। विवादग्रस्त भूमि में हरीराम, बृजलाल, भादर भी खातेदार हैं जो आवश्यक पक्षकार हैं उन्हें पक्षकार बनाये बिना वाद वादीया चलने योग्य नहीं है वादीया वादग्रस्त आराजी की टिनेन्ट नहीं होने से वाद वादीया खारिज किया जाने का कथन किया।

3. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट वादीया ने एक और वाद सं. 138/87 पेश किया कि वादीया के दादा स्व0 मानाराम के नाम रोही मौजा श्योदानपुरा ख. नं. 252 तादादी 62.08 बीघा व ख. नं. 265 तादादी 35.19 बीघा कुल 99 बीघा 4 बिस्वा भूमि थी जो नये ख. नं. में पैमूद हई। वादीया की माता रूपा ने अपने पति स्व0 नानू के स्वर्गवास के बाद स्व0 माना के जीवनकाल में ही प्रतिवादी सं0 1 की चुड़ी पहन ली थी। स्व0 मानाराम की मृत्यु के बाद वादीया मानाराम की भूमि में से 1/2 भाग की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारी है। विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं0 2 ता 4 काबिज हैं। प्रतिवादी 2 ता 4 को जब उनका कब्जा होने बाबत 15.04.87 को पूछा गया तो उन्होंने प्रकट किया कि हमारे पिता ने तकसीम करके भूमि दी है। ऐसी सम्पति में

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

वादीया का 1/2 हिस्से कानूनी अधिकार है को विभाजित करने का प्रतिवादी नं. 1 को कोई अधिकार नहीं है। बंटवारा विधि द्वारा अमान्य व प्रभावहीन है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः खाता अलग अलग कायम किया जाकर मुझे वादीया के बंटवारे में आई भूमि का कब्जा दिलाया जावे।

4. प्रतिवादी नं. 1 ता 4 ने जवाबदावा पेश किया कि रूपा ने प्रतिवादी नं. 1 की चूड़ी नहीं पहनी थी। माना की मृत्यु सं0 2011 में हुई थी। स्व0 माना की जायदाद में कानूनन वादीया का कोई हक नही है। वादगस्त भूमि में माना के जीवनकाल व उसकी मृत्यु के बाद वादीया का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। स्व0 माना के केवल प्रतिवादी नं. ही एकमात्र पुत्र है। वादीया मुझ प्रतिवादी की पुत्री नहीं है। अतः वादीया स्व माना की पोती होना कतई स्पष्ट नहीं है। स्व0 माना ने मुझ प्रतिवादी का जरिये खोलायत पंजीकृत 28.05.45 द्वारा गोद लिया था इसी खोलानामा में मानाराम ने अपनी स्वेच्छा व विवेक से अपनी कुल चल व अचल सम्पति की वसयीत स्पष्ट शब्दों में मुझ प्रतिवादी नं. 1 के हक में कर दी थी जिसमें स्व0 माना की सम्पति का प्रतिवादी कानूनी वारिस व अधिकारी हुआ। अतः वादीया का विवादित आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं है। विवादित आराजी सं0 2011 से प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा राजस्व रिकार्ड में प्रति0 सं0 2 ता 4 के नाम है। वादीया पिछले 12 वर्ष से श्योदानपुरा में नहीं रही। इस आधार पर भी प्रतिवादीगण विवादित आरजी के खातेदार व मालिक हो गये हैं। लिहाजा वाद वादीया मय हर्जा खारिज किया जावे।

5. अधीनस्थ न्यायलाय ने उपरोक्त दोनों वादां में विवादित बिन्दू एक समान होने के दोनों वादों का एक ही निर्णय किया है और इस एक निर्णय की अपीलाण्ट ने एक ही अपील की है।
6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
7. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को स्वर्गीय माना की पोती होना, स्वर्गीय माना की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद होना व वादीया का 1/2 हिस्सा विरास्तन हक होना स्वीकार किया परन्तु स्वर्गीय माना के द्वारा निस्पादित खोलानामा दिनांक 28.05.45 प्रदर्शडी–1 को वसीयत ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मान लिया। अधीनस्थ न्यायलाय ने दिनांक 28.5.45 के रोज निष्पादित दस्तावेज की प्रकृति को समझाने में भूल की है। स्वर्गीय मानाराम का दस्तावेज गोदनामा दिनांक 06.03.45 को निष्पादित करने का आशय केवल प्रतिवादी नंदराम को गोद लेना मात्र ही था। इसी वजह से ही अपने मरने के बाद अपना क्रियाकर्म करने का दायित्व सम्बन्धी कथन किये गये थे। इसी क्रम में ही स्व0 मानाराम ने गोदनामा के जरिये वादीया व उसकी बहिन की शादी करने व अपने पुत्र नानू (वादीया का पिता) की और (वादीया की माता) को रोही वगैरह देने सम्बन्धी दायित्व का स्मरण करवाया गया कि एक पुत्र पर अपने पिता के मरने के बाद अपने परिवार कुटुम्ब को देखभाल करने का भी यही दायित्व हिन्दू संस्कृति के अनुसार निर्धारित हैं। सहज अपनी जायदाद सम्बन्धी जिक्र करने मात्र से गोदनामा को वसीयतनामा नही माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य से एवं खोलानामा के आशय को देखना व विचारित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर विचारण न्यायालय ने विधि त्रूटि की है। मूल गोदनामा दिनांक 06.03.1945 को स्व0 मानाराम ने तहरीर करवाया व दिनांक 28.05.1945 को पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया। दिनांक 28.05.1945 को स्व0 मानाराम ने गवाहान नानू पुत्र देवसी जाति जाट निवासी श्योदानपुरा व उपपंजियक एवं प्रतिवादी नंदराम के समक्ष गोदनामा को पंजिकृत करवाते समय अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की उसके मरने के बाद निस्फ जमीन तौर गुजारा मुस्मात रूपा बेवा नानूराम के नाम व निस्फ खोलायत क नाम होगी। इस इच्छा को खोलायत पुत्र नंदराम ने स्वीकार किया व रजामंदी जाहिर की । उक्त तहरीर स्व0 मानाराम ने दिनाक 28.05.45 को तहरीर करवाई जो कि स्व0 मानाराम की अंतिम इच्छा पत्र है व गोदनामा दिनांक 06.03.1945 पर पंजियक कार्यवाही में अंकित है। इस इच्छा पत्र में अंकित कथनों पर स्वर्गीय माना, गवाह नानू पुत्र देवसी व प्रतिवादी नंदराम के अंगूठा निशानी अंकित है। यह वसयीत स्व0 माना के अनुसार वादीया की माता मु0 रूपा व स्व0 माना की मृत्यु जो उत्तराधिकार अधिनियम 1950 के बाद होना सिद्ध होना माना गया है के बाद अपने पिता की सम्पति जो निर्वसीयत रहीं में 1/2 हिस्सा पाने की अधिकारी है। वादीया बतौर एक मत्र उतराधिकारी अपनी माता को प्राप्त हिस्सा 1/2 को पाने की भी अधिकारी हो गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रलेख को समझने में भूल की है व इसे अनदेखा किया है। विकल्प में यह भी कथन है कि यदि दिनांक 06.03.45 के लेख पत्र गोदनामा को वसीयत मान भी लिया

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जाता है तब भी स्व0 मानाराम के द्वारा 28.05.45 को निष्पादित इच्छा पत्र के द्वारा बेअसर व प्रभावहीन हो गयी है। कानूनन अंतिम इच्छा को ही प्रभावी वसीयत माना जा सकता है व इस अंतिम वसीयत से पूर्व की तथाकथित वसीयत स्वतः ही निरस्त हो गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी का निर्णय त्रूटिपूर्ण किया है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं0 2 का विचारण भी अविधिक व त्रूटिपूर्ण किया है इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादीया ने स्वयं को माना की हिब्बानामा के बाद शेष रही 1/2 हिस्सा की भूमि में आधी प्राप्त होने का स्वयं को अधिकारी होना साबित किया है। ऐसी स्थिति में वादीया का सह काश्तकार होना पूर्णतया साबित है।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 का विचारण भी अविधिक जांच अपना कर किया है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 नंदराम वसीयत (इच्छा पुत्र) दिनांक 28.05.45 के आधार पर स्वर्गीय मानाराम की 1/2 हिस्सा भूमि पाने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में उसे मानाराम की समस्त भूमि को पाने का अधिकारी मानककर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है। चूंकि अधीनस्थ न्यायलाय ने वादीया अपीलाण्ट को 1/2 हिस्सा भूमि पाने का अधिकारी माना है इसलिए वसीयत 28.05.45 के आधार पर वादी 1/2 हिस्सा भूमि पाने की अधिकारी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों में 2015 डीएनजे (एससी) पेज 1018, एआईआर 1995 एस सी पेज 2491, एआईआर 1963 मद्रास पेज 452, एआईआर 2008 आंद्रप्रदेश पेज 280, एआईआर 1961 एचपी पेज 10, एआईआर 1970 एससी पेज 1730, आरबीजे (4) 1997 पेज 201, के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि चक 20 के.एन. एन में 2011/2 बीघा भूमि जरिये हिब्बानामा माना ने गौरा देवी, बुधराम को दी थी लेकिन गोरा देवी ने जरिये विक्रय पत्र उक्त भूमि प्रतिवादी नन्दराम के तीन पुत्रों को विक्रय कर दी तथा गौरादेवी का उक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं रहने से गोरा देवी विभाजन करवाने की अधिकारीणी नही है। स्व0 मानाराम ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी नन्दराम का गोद ले लिया था तथा अपनी समस्त चल व अचल सम्पति की वसयीत प्रतिवादी नन्दराम के नाम करवा दी थी तथा उक्त गोदनामा व वसीयत का दस्तावेज भी 28.05.45 को उप पंजीयक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हनुमानगढ के यहां पंजीबद्ध करवा दिया था। विवादित आरजी स्व0 मानाराम की स्व अर्जित आराजी थी इसलिए माना के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी नन्दराम उक्त गोदनामा व वसीयत के आधार पर माना की समस्त आराजी का खातेदार हो गयां वादीया का उक्त आराजी में कोई हक नहीं है। वसीयत में यह लिखना जरूरी है कि मेरे मरने के बाद मेरी सम्पति का मालिक कौन होगा। यदि यह नहीं लिखा जाता है तो भी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वसीयतकर्ता ने जरिये वसयीत यह जाहिर कर दिया कि मेरी सम्पति का मालिक मेरे करने के बाद कौन होगा। स्व0 माना कि यह वसीयत अन्तिम वसीयत थी तथा वादीया ने प्रतिवादी के जवाबदावे की मद 9 जिसमें प्रतिवादीगण ने यह लिखा है कि स्व माना ने प्रतिवादी के हक में वसीयत कर दी थी कहीं भी खडन नहीं किया है तथा वादिया अपने बयानों में भी वसीयत होना स्वीकार करती किया है। उक्त वसीयत एवं गोदनामा के हेाते अपीलाण्ट स्व0 माना की भूमि में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय में दो दावे अपीलाण्ट ने पेश किये थे जिनका एक साथ निर्णय किया गया था लेकिन अपीलाण्ट ने एक ही अपील प्रस्तुत की है जो चलने योग्य है नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017 (1) पेज 45, आरआरडी 14.09.2019 पेज 538, पज 323, आरआरटी 2013 (2) पेज 979, आरआरडी 14.02.2018 पेज 101 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

11. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रालवी का अवलोकन किया।

12. अधीनस्थ न्यायलाय में अपीलाण्ट ने दो वाद 129/87 व 136/87 प्रस्तुत किये थे,जिनमें उसने विवादित आराजी में स्वर्गीय माना के 1/2 में 1/2 हिस्से की अधिकारिणी एवं खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं प्रश्नगत भूमि का खाता तकसीम कर अलग अलग कायम करने एवं मुताबिक बंटवारा वादीया को कब्जा दिलवाये जाने का अनुतोष याचित किया था। विचारण न्यायालय ने दोनों वादों का एक ही निर्णय किया है। अपीलाण्ट ने उक्त दोनों वादों का एक ही निर्णय होने के कारण एक ही अपील प्रस्तुत की है। विचारण न्यायायल ने वाद वादीया खारिज किया है।

13. अपीलाण्ट/वादीया ने मानाराम की मृत्यु के बाद माना के हिस्से की आराजी में 1/2 हिस्से की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खतोदार काश्तकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

घोषित करने का अनुतोष चाहा है। वादीया माना के पुत्री की पुत्री यानी पोती है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 नन्दराम मानाराम का दत्तक पुत्र है। विवादित आरजी माना की स्वअर्जित कृषि भूमि है माना के फौत होने के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत स्व माना की भूमि में वादीया को विरास्तन 1/2 हिस्सा प्राप्त होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड खोलाना जो कि प्रदर्श–1 से स्पष्ट है कि स्व0 माना ने खोलानामा को पंजीबद्ध करवाया जिसमें प्रतिवादी नं. 1 नन्दराम को गोद लिया था। इस खोलानामा में मानाराम ने लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्रियाक्रम वगैरा करेगा और मीकर के दो पोती है जिनकी शादी करेगा और मिकर के लड़का नानू की औरत जो बेवा है उसको रोटी वगैरह देगा और मेरे मरने के बाद जायदाद मनकुला व गैर मनकुला पर मालिक व काबिज होगा और कुछ हक हकूक जायदाद मनकूला वा गैर मनकुला पर जो इस वक्त मीन मीकर को हासिल है वह बाद फौतीदी मीना खोलायत महकूर को हासिल होंगे'' इससे स्पष्ट है कि माना ने अपनी सम्पति की वसीयत नन्दराम के पक्ष में कर दी थी तथा उक्त वसीयत को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ये आज भी यथावत है। इस वसीयत में माना की ने अपनी स्वअर्जित भूमि अपने मरने के बाद नन्दराम को मालिक होने के अधिकार दे दिये थे। स्वर्गीय माना ने गोरादेवी व बुधराम के पक्ष में हिब्बानामा भी पंजीबद्ध करवाया था और इस हिब्बानामा से अपीलाण्ट को प्राप्त भूमि अपीलाण्ट ने जरिये विक्रयपत्र रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पुत्रों को विक्रय कर दी थी। ऐसी स्थिति में जबकि मानाराम ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 नन्दराम के पक्ष में खोलानामा व वसीयत का एक दस्तावेज संपादित करवा दिया तथा उक्त दस्तावेज को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है जो आज भी यथावत है। इस खोलानामा के होते हुए अपीलाण्ट प्रश्नगत आरजी की किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अपीलाण्ट ने अपनी 20 के.एरनएस. की खातेदारी भूमि रेस्पो0 सं0 1 के पुत्रों को बैय कर दी है इसलिए सह सह खातेदार नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं। इसलिए अपीलाण्ट प्रश्नगत आराजी में विभाजन करवाने की अधिकारीणी विचारण न्यायायल ने नही माना उक्त साक्ष्यों के विपरीत अपीलाण्ट ने अन्य कोई साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जा सके।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दो दावे प्रस्तुत किये थे अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावों का एक ही निर्णय पारित किया है। ऐसे में अपीलाण्ट को दो अलग अलग अपीलें प्रस्तत करनी चाहिए थी लेकिन अपीलाण्ट ने दोनों दावों की एक ही अपील प्रस्तुत की है। किन्हीं दो दावों का निर्णय एक हो सकता है लेकिन अपील दोनों दावों की अलग अलग की जानी अपेक्षित है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 14.05.2019 पेज 323 अवलोकनीय है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अलग अलग दावों को समेकित किया जाना वाद बहुलता से बचाता है लेकिन अपील हेतु प्रत्येक वाद का निर्णय अलग अलग माना जावेगा। सभी प्रकरणों में अपील नही किये जाने की स्थिति मं रेस–ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होगा। अपीलाण्ट ने दो दावों के एक निर्णय की एक अपील प्रस्तुत करते हुए दोनों दावों में पारित निर्णय को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है जो उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलौक में विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील इस बिन्दू पर भी खारिज किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2001 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायलाय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2001/00012 (65/2001) 223 आरटीएक्ट

गौरांदेवी पुत्री नानू पुत्र माना पत्नी जयमल जाति जाट निवासी फकीरावाली तहसील पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर। – अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दराम पिसर मुतवन्ना माना जाति जाट निवासी श्योदानुपुरा तहसील टिब्बी जिला हनमानगढ (नाम कलमजन)
2. बुधराम पुत्र मोहकम जाति जाट निवासी फकीरांवाली तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।
3. तहसीदार (राजस्व) टिब्बी।
4. भादरराम
5. हरीराम } पिसरान नंदराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील
6. बृजलाल } जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2001 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया प्रकरण संख्या 129/87 व 136/87 बअनवानी गौरांदेवी बनाम नंदराम व अन्य

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री बलविन्द्र सिह अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संया 4, 5, 6, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता, की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2001 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.01.2020 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी आर. ए. एस.)

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.03 13:14:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: